District Registry Office,Patna

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं0 9151

RTPS No.:-
030118281002408009

चूँकि श्री BRAHMANAND PRASAD & OTHERS ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2004 से ता0 30/01/2014 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं0	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	PATNA	PHULWARI SHARIF	MANOHARPUR KACHHUARA (117)	76	835	110.25 DEC.		0				
2	PATNA	PHULWARI SHARIF	MANOHARPUR KACHHUARA (117)	76	836	71 DEC.		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–
नाम –Ali Perwez
Data Entry Operator 18/09/24

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Dheeraj Kumar Paswan
L .D. C 18/9/24

कार्यालय – **District Registry Office, Patna** तारीख – **18-09-2024**

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)

2 निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविश्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3 किन्तु चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4 और चूकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– .7774 दिनांक:– 17/09/2024

भाखा प्रबंधक CENTRAL BANK OF INDIA PATNA के पत्र दिनांक 06/09/2024 के आलोक में प्रेशित।

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

संपत्ति–अवभार प्रमाण पत्र

अनुसूची 21–प्रपत्र संख्या

प्रमाण–पत्र सं0..3675/2024 आवेदनसं0..3697/2024

चूँकि **श्रीमती / श्री--BRAHMANAND PRASAD & OTHERS, S/O,W/O,D/O - NA-** ने मेरे पास आवेदन किया है निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित व्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुकमणियों में **दिनांक– 31.1.2014 TO 4.11.2022** तलाशी की गई और ऐसी तलाशी की गई और तलाशी के बाद निम्न व्यवहारों और अवभारों का पता चला है। नही

क्रम सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेजों की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निश्पादन	दावेदार	जिल्द सं0	वर्श	पृश्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauja- MANOHARPUR KACHHUARA Thana No-117 Circle-SAMPATCHAK Khata-76 Khesra-835, 836 Area-181.25 DEC Dist-PATNA							

(क) अवलोकन के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1. बंधक–पत्र की दशा में, ब्याज की दरें और भुगतान की अवधि दर्ज करें। ब ार्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2. पट्टे की दशा में पट्टी की अवधि और वार्शिक लगान दर्ज करें। (कृ.पृ.उ.)

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी संव्यवहार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण–पत्र तैयार किया–

(हस्ताक्षर) :– कविता कुमारी Kavita Kumari 13.09.24

(पदनाम) :– लिपिक

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण–पत्र की जॉच निम्न व्यक्ति ने की :–

(हस्ताक्षर) :– रवि कुमार

(पदनाम) :–लिपिक

कार्यालय :– अवर निबंधन कार्यालय फुलवारीशरीफ, पटना।

तारीखः–13.9.2024 **(निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर)**

अवर निबंधक फुलवारी शरीफ पटना

टिप्पणी :–

1. इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण देकर किन्हीं इन संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जक्शन्स) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणीयों (इन्डेक्स) की प्रविश्टियॉ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विविर्दिश्ट संपत्तियों के प्रमाण–पत्रों के जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियॉ ओर अनुक्रमणीयॉ उनके सामने रख दी जायेगी।

✓ (क) किन्तु, चॅकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने स्वयं तलासी किया है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की हैं। फिर भी, विभाग द्वारा किये गये तालासी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होता।

✓ (ख) और, चूँकि वर्त्तमान मामलों में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी की है और चूँकि उसके द्वारा ढूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हों।

अवर निबंधक, फुलवारीशरीफ, पटना पत्रांकः–3675 दिनांकः–13.9.2024

सेवा में,

शाखा प्रबंधक, –CBI BANK- के पत्रांक–CBI/24 दिनांकः–13.9.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेशित।

अवर निबंधक,
फुलवारीशरीफ,
पटना।

अवर निबंधक फुलवारी शरीफ पटना

फारम स0–113

अनुसूची 21–फारम स0–113

संपत्ति अवभार प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र सख्या 1391/2022 24 आवेदन स0 1391/14-12-2022 24

चूँकि श्री / श्रीमति– ब्रह्मानन्द प्रसाद / मुकेश कुमार / रितेश कुमार

According to Available Record Index- II

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के सबध में निबधित सव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन मे दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मै इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुकमणियो मे ता0 05/11/22 से ता0 23/09/24 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारो का पता चला ---------- *सम्पत्ति ऋण अवभार से मुक्त है।* ----------

---------- चला है अतः ----------

क्र0स0	(क) सपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा– मनोहरपुर कछुआरा थाना– 117 खाता– 76 खेसरा– 835 & 836 11025 डी / 71 डी0 रकबा– 181.25 डी0	T- 4040, S- 4011, D- 3995 खरिदार– Shyamshila Devi						

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक–पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा मे पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नही चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) Ashok

(पदनाम L.D.C

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर) Sama

(पदनाम): LDc

कार्यालयः– अवर निबंधन कार्यालय, सम्पतचक।

तारीख 23/09/24

अवर निबंधक का कार्यालय सम्पतचक, पटना सत्यमेव जयते

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र मे जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयाँ) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियों उनके पास साम ने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले मे आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

कार्यालय, अवर निबधक, सम्पतचक।

ज्ञाप सख्या------------------ दिनांक 23/09/24

आवेदक श्री/श्रीमति– प्रेमानन्द प्रसाद का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा सेन्ट्रल बैंक

--उनके पत्र सख्या दिनांक के प्रसग मे अग्रसारित की जाती है।

निबधन पदाधिकारी,
सम्पतचक।